

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दूदू, जिला राज0

पीठारसीन अधिकारी - रतनलाल योगी आर0ए0एस0

मुकदमा संख्या - 01/2022

अन्तर्गत धारा - खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 नियम 2011

निर्णय दिनांक - 05.02.2024

सरकार जरिये भानू प्रताप सिंह गहलोत खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय आयुक्त  
(खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर राज0

प्रार्थी-आवेदक

बनाम

1. विरेन्द्र श्रीवास्तव पुत्र गिरिश चन्द श्रीवास्तव,  
नॉमिनी मैसर्स:- इमामी एग्रोटेक लि0, ग्राम चान्दरमूल, पोस्ट गिदानी,  
तहसील मौजमाबाद।
2. मैसर्स:- इमामी एग्रोटेक लि0, ग्राम चान्दरमूल, पोस्ट गिदानी,  
तहसील मौजमाबाद।

अप्रार्थी-अभियुक्त

उपस्थित अधिवक्ता - आर.एस.मण्डावरी

अन्तर्गत धारा 52, धारा 26(2) (11)/ 51 एफएसएस एक्ट 2006

निर्णय

परिवाद अन्तर्गत धारा 52, धारा 26(2) (11)/ 51 एफएसएस एक्ट 2006

सरकार जरिये भानू प्रताप सिंह गहलोत खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय आयुक्त  
(खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर राज0 द्वारा पेश  
किया गया। जिसका सार निम्नानुसार है-



1. यह है कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 26.07.2011 के गजट में भाग 2 (क) पर प्रकाशित हुआ है एवं निदेशालय के आदेश क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/475 दिनांक 10.08.11 द्वारा केन्द्रिय दल, कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर में पदस्थापित है। परिवादी का स्थानीय क्षेत्र समस्त राजस्थान राज्य का है जिसका गजट नोटिफिकेशन दिनांक अप्रैल 11, 2012 के गजट में भाग 2(क) पर प्रकाशित हुआ है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियाँ आवेदन के साथ संलग्न है।

2. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 22.12.2020 को समय 02.45 पी.एम. पर मैसर्स इमामी एग्रोटेक लि0, खसरा नम्बर 615/44, 616/50 ग्राम चान्दरमूल, पोस्ट गिदानी, तहसील मौजमाबाद पर पहुँचा, वहाँ पर श्री विरेन्द्र श्रीवास्तव पुत्र गिरिश चंद श्रीवास्तव मिले, श्री विरेन्द्र श्रीवास्तव को अपना परिचय

अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
दूदू



दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा पूछने पर श्री विरेन्द्र श्रीवास्तव ने स्वयं को मैसर्स इमाभी एग्रीटेक लि०, खसरा नम्बर 615/44, 616/50 ग्राम चान्दरगूल, पोस्ट गिदानी, तहसील मौजमाबाद का खाद्य कारोबारकर्ता एवं नॉमिनी होना बताया। वारंते निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञा पत्र दिखाया।

3. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु कच्ची घानी मस्टर्ड ऑइल (इमाभी) की 223440 पैट बोतलें गत्ता पैक कार्टनों में रखी थीं में अमानक एवं मिथ्याछाप का शक होने पर 500 मि०ली० की 04 पैट बोतल कच्ची घानी मस्टर्ड ऑइल (इमाभी) खाद्य कारोबारकर्ता एवं नॉमिनी श्री विरेन्द्र श्रीवास्तव को 260/रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं नॉमिनी के हस्ताक्षर हैं। तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। खरीद रसीद मूल संलग्न परिवाद है।

4. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म संख्या 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्य कारोबारकर्ता एवं नॉमिनी तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री विरेन्द्र श्रीवास्तव एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5 ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता एवं नॉमिनी श्री विरेन्द्र श्रीवास्तव को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5 ए मूल संलग्न परिवाद है।

5. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा कच्ची घानी मस्टर्ड ऑइल (इमाभी) की 500 मि०ली० की 04 पैट बोतलों पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय के कोड एवं क्रमांक एएन-2011 दर्ज किया, प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं नॉमिनी तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी जयपुर द्वितीय की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एन.-2011 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपका कर प्रत्येक भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं नॉमिनी के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारों नमूना भागों के रेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

6. यह है कि मौके पर फर्ड रिपोर्ट तैयार कर खाद्य कारोबारकर्ता एवं नॉमिनी तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फर्ड रिपोर्ट मूल संलग्न परिवाद है।

7. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं० 6 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसे मौके पर नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं० 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर अगले कार्य दिवस में खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म सं० 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा कराकर फॉर्म सं० 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फॉर्म सं. 6 की दो प्रतियों एवं चौथा भाग मय



अतिरिक्त जिला कलक्टर  
दूध

फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बंद कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय को अगले कार्य दिवस में जमा कराकर रसीदे प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

8. यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वितीय के पत्रांक 10 दिनांक 21.01.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/2508/एक्ट/2020/42 दिनांक 04.01.2021 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता एवं नॉमिनी द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ कच्ची घानी मस्टर्ड ऑइल (इमामी) मिस ब्राण्डेड होना पाया गया। जांच रिपोर्ट मूल आवेदन के साथ संलग्न है।

9. यह है कि मैसर्स इमामी एग्रोटेक लि0 द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 24.12.2020 के द्वारा नमूने के चतुर्थ भाग को Accredited Laboratory (Jagdamba Laboratories) से जांच करवाने हेतु आवेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अनुरोध किया गया।

10. यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स इमामी एग्रोटेक लि0 से प्राप्त प्रार्थना पत्र दिनांक 24.12.2020 के क्रम में पत्र दिनांक 11.01.2021 के द्वारा श्रीमान् अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय से नमूने के चतुर्थ भाग को पत्र वाहक के साथ मंगवाकर, उक्त नमूने को जांच हेतु Accredited Laboratory (Jagdamba Laboratories) भिजवाया।

11. यह है कि मैसर्स Jagdamba Laboratories ने पत्र दिनांक 22.01.2021 द्वारा अवगत करवाया कि उनकी लैब के एफएसएसआई एक्ट में दिये गये मापदण्ड जांचने हेतु एफएसएसआई से मान्यता प्राप्त है, लेबल जांच उनकी लैब के एनएबीएल स्कोप में नहीं होने के कारण लेबल की रिपोर्ट उपलब्ध करवाया जाना संभव नहीं है। पत्र के साथ संलग्न जांच रिपोर्ट क्रमांक JLFD210112033/A दिनांक 20.01.2021 के द्वारा उक्त नमूना गुणवत्ता की जांच में मानक स्तर का होना पाया गया।

12. यह है कि अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय ने पत्र क्रमांक 318 दिनांक 24.11.2021 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में अभियोजन संस्थित करने हेतु अधिकृत किया है।

13. यह है कि उक्त प्रकरण में श्री विरेन्द्र सिंह श्रीवास्तव एवं अन्य ने खाद्य पदार्थ कच्ची घानी मस्टर्ड ऑइल (इमामी) मिसब्राण्डेड का विक्रय करके F.S.S.A. 2006 की धारा 3(1)(zf)(c)(i)(As No Cholesterol, MUFA & ALA&Omega 3 help reduce risk of heart disease, reduce Cholesterol, Vitamin D Helps improve bone health high in natural omega 3. Given on the lable of sample is an exaggeration of the quality of the products. Contravention of Regulation No.2.4(1)of FSS Packagiong and Labelling Regulation 2011.) धारा 26(2) (i i) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफ.एस.एस.ए. 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है के तहत जुर्माना हेतु परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवाद मय वर्णित दस्तावेजात व सूची गवाहान के इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

उक्त आशय का परिवाद प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी करते हुए साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया।

20/1/21  
आतिशित रिश्ता कलाकर  
३३



अप्रार्थी द्वारा जरिये अभिभाषक जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि अभियुक्त अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा ओर मानक एफ.एस.एस.ए. 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 का कोई उल्लंघन नहीं किया। खाद्य विश्लेषक द्वारा लेबल का अवलोकन पूरी तरह से नहीं किया गया। जॉच रिपोर्ट अधूरी है। इसलिए परिवाद को निरस्त कर अभियुक्त को परिवाद से मुक्ति दिलाई जावे।


प्रकरण में अप्रार्थी वकील की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अप्रार्थी अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही निर्धारित मापदण्डों व प्रक्रिया के अनुरूप नहीं होने का कथन किया।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अप्रार्थी के जवाब प्रार्थना पत्र, नजीरों का अवलोकन एवं बहस का मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी के प्रतिष्ठान पर उपलब्ध खाद्य सामग्री में गुणवत्ता की कमी के अंदेशे से की गई कार्यवाही नियम एवं प्रक्रियानुसार की गई है। स्टेट सेन्ट्रल पब्लिक हेल्थ लेबोरेट्री, जयपुर (राज0) की जॉच रिपोर्ट क्रमांक एल. एस./2508/एक्ट/2020/42 दिनांक 04.01.2021 की रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी द्वारा विक्रय के उद्देश्य से रखे खाद्य पदार्थ कच्ची घानी मस्टर्ड ऑइल (इमामी) मिसब्राण्डेड होना पुष्ट होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन से यह सिद्ध होता है कि अप्रार्थी विरेन्द्र श्रीवास्तव नॉमिनी मैसर्स इमामी एग्रोटेक लि0 वक्त निरीक्षण जब्त किया गया मस्टर्ड ऑइल का मिसब्राण्डेड का पाये जाने से अप्रार्थी द्वारा मिसब्राण्डेड खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf)(C)(1) धारा 26(2) (i i) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफ.एस.एस.ए. 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत निर्धारित जुर्माना प्रावधान के तहत अप्रार्थी संख्या 2 पर राशि 25000/रु. अक्षरे पच्चीस हजार रु. मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त अप्रार्थी शास्ति राशि जरिये चालान जमा करा कर चालान की एक प्रति निर्णय दिनांक के एक माह के अन्दर-अन्दर इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि में शास्ति की राशि जमा नहीं कराने पर प्रार्थी से कार्यालय द्वारा नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावे/लाइसेंस स्थगित किये जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2024 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैंसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हों।



  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मुजिस्ट्रेट  
दूदू राज0